भारत संघ एवं एएनआर. वगैरह।

बनाम

अंकुर गुप्ता एवं अन्य।

(2019 की सिविल अपील संख्या 2017–2020)

फ़रवरी 25, 2019

[अशोक भूषण और केएम जोसेफ, न्यायाधीशगण]

अशोक भूषण, न्यायाधीश 1. अनुमति स्वीकृत।

2. प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के प्रतिवाद के माध्यम से उपस्थित होने के बाद, हमने पक्षों के अधिवक्ता को सुना है और मामले को अन्ततोगत्वा रूप से निर्णित करने के लिए अग्रसर हुए हैं।

3. भारत संघ और केंद्रीय दत्तक ग्रहण और संसाधन संस्था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2018 की रिट अपील संख्या 2259 और 2018 की रिट अपील संख्या 2675 में खण्ड न्यायपीठ के दिनांक 04.09.2018 के फैसले पर सवाल उठाते हुए अपील की है। दो अन्य अपीलें दो अन्य अपीलकर्ताओं द्वारा 2018 के सीसीसी नंबर 1690 और 2018 के सीसीसी नंबर 1691 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 04.09.2018 के एक सामान्य आदेश पर सवाल उठाते हुए दायर की गयी है।

4. हम सबसे पहले 2018 की रिट अपील संख्या 2259 और 2018 की रिट अपील संख्या 2675 में खण्ड न्यायपीठ के फैसले के खिलाफ दायर सिविल अपील को लेते हैं। अपील को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य जैसा कि उच्च की खण्ड न्यायपीठ ने टिप्पणी किया है न्यायालय निम्नलिखित प्रभाव वाले हैं:–

4.1 कि वर्ष 2000 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारत प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, श्री अंकुर गुप्ता , प्रतिवादी नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका (संक्षेप में यूएसए) चले गए। 2004 में, प्रतिवादी संख्या 2, सुश्री गीतिका अग्रवाल अपनी पीएचडी के लिए यूएसए गईं। जून, 2006 में यूएसए में रहने के दौरान, प्रतिवादी नंबर 1 और 2 ने विवाह कर लिया है। वे एक दशक तक अमेरिका में रहे। वे 2016 में भारत लौट आए। संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने के दौरान, प्रतिवादी नंबर 2 अमेरिकी नागरिक बन गया; प्रतिवादी नंबर 1 ने अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन किया था। हालाँकि, 2016 तक, जब दंपति भारत लौटे, प्रतिवादी नंबर 1 को अमेरिकी नागरिकता नहीं दी गई थी। इसके अलावा, शादी के दस साल बाद भी इस जोड़े को कोई संतान नहीं हुई। इसलिए, भारत लौटने पर, उन्होंने अंततः एक भारतीय बच्चे को दत्तक लेने की योजना बनाई।

4.2 प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने भारतीय भावी दत्तक माता–पिता के रूप में एक बच्चे को दत्तक लेने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से 19.07.2016 को एक आवेदन प्रस्तुत किया। दत्तक लेने के लिए आवेदन जमा करने से ठीक पहले प्रतिवादी नंबर 2 ने 19.05.2016 को यूएसए की नागरिकता हासिल कर ली थी, जिसे 19.07.2016 को प्रस्तुत आवेदन में घोषित किया गया था।

4.3 दिशानिर्देश, 2015 के अनुसार, एक बच्चे को दत्तक लेने के लिए 'संभावित दत्तक माता–पिता' के प्रयासों के समन्वय के लिए एक विशेष दत्तक ग्रहण संस्था द्वारा एक गृह अध्ययन प्रतिवेदन तैयार की जानी है। 01.08.2016 को, शिशु मंदिर संस्था, एक पंजीकृत विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्था, ने अपनी गृह अध्ययन प्रतिवेदन दाखिल की। इसके बाद, उत्तरदाता दत्तक लेने के लिए एक बच्चे के रेफरल की प्रतीक्षा में कतार में थे। 05.12.2016 को, जब वे दत्तक लेने के लिए एक बच्चे के संप्रेषण की प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रतिवादी नंबर 1 को 05.12.2016 को अमेरिकी नागरिकता प्रदान की गई थी।

4.4 उत्तरदाताओं के अनुसार, उन्हें प्राप्त सलाह के आधार पर, उन्होंने प्रतिवादी नंबर 1 की नागरिकता स्थिति में बदलाव के बारे में अपीलकर्ता नंबर 2, सीएआरए को सूचित किया। इसके अलावा, 05.11.2017 को, जोड़े ने खुद को भारत में रहने वाले प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) के रूप में पंजीकृत कराया। उक्त पंजीकरण दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 (संक्षेप में विनियम, 2017) के तहत किया गया था, जिसे बच्चों को दत्तक लेने को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देश, 2015 के अधिक्रमण में 4 जनवरी 2017 को अधिसूचित किया गया था।

4.5 चूंकि उत्तरदाताओं ने विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्था को अपनी नागरिकता की स्थिति में बदलाव के बारे में सूचित किया था, विशेष संस्था ने अपीलकर्ता संख्या 2 को दिनांक 05.12.2017 को ई–मेल के माध्यम से उत्तरदाताओं की नागरिकता की स्थिति में बदलाव के बारे में सूचित किया। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्था ने उत्तरदाताओं के दूसरे पंजीकरण, अर्थात् कूसा 201771205 का उल्लेख किया। उत्तरदाताओं की ओर से, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्था ने अपीलकर्ताओं से अनुरोध किया कि बच्चे को दत्तक लेने के लिए प्रतिवादी की वरिष्ठता पहले पंजीकरण के आधार पर जारी रखी जानी चाहिए।

4.6 ई–मेल दिनांक 06.12.2017 द्वारा, अपीलकर्ता संख्या 2 ने विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्था को सूचित किया कि जोड़े की वरिष्ठता जारी रखने के अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से विचार किया जाएगा। हालाँकि, दत्तक लेने के लिए जोड़े की पात्रता "भारत में रहने वाले ओसीआई" की श्रेणी में होगी।

4.7 01.01.2018 को, शिशू शोम्या (जन्म 30.09.2017 को) को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा दत्तक लेने के लिए भेजा गया था। प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने 02.01.2018 को रेफरल स्वीकार कर लिया। प्रतिवादी नंबर 1 और 2 ने शिशू शोम्या से मुलाकात की, जो पटना में प्रतिवादी नंबर 3 के साथ थी। इसलिए, 04.01.2018 को, प्रतिवादी नंबर 1 और 2 ने अपीलकर्ता नंबर 2 के सीईओ को पत्र लिखकर दत्तक लेने के लिए शिशू शोम्या के संदर्भ को जारी रखने का अनुरोध किया। प्रतिवादी नंबर 1 और 2, जिन्होंने आशंका जताई थी कि दत्तक लेने के लिए शिशू शोम्या का रेफरल 18.01.2018 को समाप्त हो जाएगा, ने शिशू शोम्या को दत्तक लेने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपीलकर्ताओं के साथ बार–बार पत्र–व्यवहार किया। फिर, मार्च 2018 के महीने में, प्रतिवादी नं. 1 और 2 ने शिशू शोम्या का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान, उन्हें सूचित किया गया कि 27.02.2018 को एक उच्च–स्तरीय समिति की बैठक में, भारत में रहने वाले भारतीयों के संभावित दत्तक माता–पिता के रूप में 19.07.2016 के पहले आवेदन को जारी रखने की अनुमति के उनके अनुरोध को अमान्य घोषित कर दिया गया था, क्योंकि प्रतिवादी नंबर 1 को अमेरिकी

नागरिकता भी दी गई थी। उन्हें आगे सूचित किया गया कि इसके बजाय, उन्हें 'भारत के प्रवासी नागरिक' के रूप में किसी अन्य बच्चे के रेफरल की प्रतीक्षा करनी होगी।

4.8 इसलिए, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने उपरोक्त निर्णय को चुनौती देते हुए रिट याचिका, अर्थात् 2018 की रिट याचिका संख्या 12427–428 दायर की, जो उन्हें दिनांक 15.03.2018 को एक ईमेल पर सूचित की गई थी। रिट कोर्ट ने दिनांक 19.06.2018 के आदेश द्वारा रिट याचिकाओं को अनुमति दी। रिट कोर्ट ने दिनांक 15.03.2018 को ईमेल द्वारा सूचित उपरोक्त निर्णय को रद्द कर दिया। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को उनके पहले आवेदन दिनांक 19.07.2016 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के अनुरोध पर शीघ्रता से विचार करने और जांच करने का निर्देश दिया, लेकिन इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर।

4.9 विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय और आदेश दिनांक 19.06.2018 द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित करके रिट याचिकाओं को अनुमति दी: –

" **आदेश**

(1) रिट याचिकाओं को इसके द्वारा अनुमति दी जाती है।

(2) संचार दिनांक 15.03.2018–अनुलग्नक–जेड को इसके द्वारा रद्द कर दिया गया है।

(3) दिनांक 19.07.2016 के आवेदन की ताकत और आधार पर याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार करने और जांच करने के लिए उत्तरदाताओं को परमादेश जारी किया जाता है – अनुबंध–ए/अनुलग्नक–आर–2, किसी भी दर पर, 15 दिनों के भीतर शीघ्रता से। इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से, ऊपर दी गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए। "

4.10 भारत संघ और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन संस्था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने फैसले के खिलाफ 2018 की रिट अपील संख्या 2259 और 2018 की रिट अपील संख्या 2675 दायर की। 2018 के सीसीसी नंबर 1690–1691 के तहत दो अवमाननाआवेदन भी प्रतिवादी नंबर 1 और 2 द्वारा दायर किए गए थे, जिन पर उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ ने अपने फैसले दिनांक 04.09.2018 के जरिए विचार किया और निर्णय लिया। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने फैसले दिनांक 04.09.2018 द्वारा रिट अपीलों को खारिज कर दिया। खण्ड न्यायपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की। रिट अपीलें खारिज करते हुए अवमानना याचिकाएं भी समाप्त कर दी गईं। निर्णय के अनुच्छेद संख्या 30 और 31 को निकालना उपयोगी है, जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है: –

"30. उपरोक्त कारणों से, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि रिट न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है कि अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी नंबर 1 और 2 द्वारा दत्तक लेने के लिए बच्चे, शिशू शोम्या के रेफरल के लाभ से इनकार करना उचित नहीं था, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट कोर्ट द्वारा असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में असाधारण तथ्यों और परिस्थितियों में हस्तक्षेप के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है। इसलिए, रिट अपील खारिज की

जाती है और परिणामस्वरूप, लंबित आवेदनों का भी निपटारा किया जाता है। अपीलकर्ताओं को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर रिट कोर्ट के निर्देशों को लागू करने का निर्देश दिया जाता है। 31. रिट अपील को खारिज करने और अपीलकर्ताओं को रिट कोर्ट के निर्देशों को ऊपर बताए अनुसार आगे की अवधि के भीतर लागू करने के निर्देश के मद्देनजर, अवमानना कार्यवाही समाप्त कर दी गई है।

4.11 उक्त निर्णय से व्यथित अपीलकर्ताओं ने ये अपीलें दायर की हैं।

5. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान एएसजी श्री अमन लेखी ने कहा कि उच्च न्यायालय, दोनों विद्वान एकल न्यायाधीश और खण्ड न्यायपीठ ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की धारा 57, 58 और 59 के प्रावधानों को सही ढंग से नहीं समझने में त्रुटि की है। , 2015 और साथ ही दत्तक ग्रहण विनियम, 2017। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने 19.07.2016 को देश में दत्तक लेने के लिए पहला आवेदन जमा करने के बाद 06.12.2016 को अमेरिकी नागरिकता हासिल कर ली और देश में दत्तक लेने के क्षेत्र से बाहर चला गया। यह प्रस्तुत किया गया है कि उत्तरदाताओं द्वारा अंतर देशीय दत्तक लेने के लिए दूसरा आवेदन 05.11.2017 को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उस दूसरे आवेदन में, उत्तरदाताओं ने अपनी अलग पहचान और मोबाइल नंबर दिए हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी देश में दत्तक लेने के विचार के क्षेत्र से बाहर चला गया है, उनके आवेदन को देश में दत्तक लेने के लिए वरिष्ठता के आधार पर विचार करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि 22,000 से अधिक माता–पिता वरिष्ठता के अनुसार, देश में दत्तक लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, उत्तरदाता उनके ऊपर मार्च नहीं कर सकते हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि शोम्या को दत्तक लेने का प्रस्ताव, जो 01.01.2018 को भेजा गया था, उत्तरदाताओं के पहले आवेदन के आधार पर था और उत्तरदाताओं द्वारा 04.01.2018 को अपने दूसरे पंजीकरण दिनांक 05.11.2017 के बारे में लिखित रूप में सूचित करने के बाद, संचार भेजा गया था उत्तरदाताओं से कहा गया है कि उनकी वरिष्ठता के संबंध में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा। उत्तरदाताओं को 15.03.2018 को संचार भेजा गया था कि उन्हें उनके पहले आवेदन के आधार पर उनकी वरिष्ठता का लाभ नहीं दिया जा सकता है और उन्हें भारत के विदेशी नागरिक के रूप में प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए इंतजार करना होगा। यह प्रस्तुत किया गया है कि ऐसी कोई विशेष परिस्थितियाँ नहीं थीं जिनके आधार पर उत्तरदाताओं के पक्ष में कोई अपवाद किया जा सके जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है।

6. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अधिनियम, 2015 और विनियम, 2017 किसी भी तंत्र के लिए प्रावधान नहीं करते हैं जब भारतीय माता–पिता, जो पहले से ही दत्तक लेने के लिए खुद को पंजीकृत करवा चुके हैं, विदेशी नागरिकता प्राप्त करते हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि विनियम, 2017 के विनियम 41 के अनुसार, एक सामान्य वरिष्ठता सूची पर विचार किया गया है, जिसका अर्थ है कि उत्तरदाताओं को पहले आवेदन के आधार पर अपनी वरिष्ठता स्थिति बरकरार रखनी होगी। इस प्रकार, उत्तरदाताओं को शोम्या को दत्तक लेने के प्रस्ताव को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 और 2 दत्तक लेने के लिए आवेदन करने के लिए पूरी

तरह से सक्षम हैं, जो अभी भी योग्य और आर्थिक रूप से स्थिर हैं और बच्चे को दत्तक लेने के लिए उत्सुक हैं, उन्हें उनके अधिकार से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रतिवादी नंबर 1 को 06.02.2016 को अमेरिकी नागरिकता प्रदान की गई थी, भारतीय माता–पिता के रूप में अपना पहला आवेदन जमा करने के काफी बाद।

7. यह प्रस्तुत किया गया है कि भले ही प्रतिवादी नंबर 1 और 2 को अमेरिकी नागरिकता प्रदान की गई है, दोनों बैंगलोर, भारत में रह रहे हैं और दोनों आवेदनों में, उनका निवास भारत के रूप में दिखाया गया है, इसलिए विचित्र परिस्थितियों में, उन्हें उचित रूप से शिशू सोम्या को दत्तक लेने का प्रस्ताव दिया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 और 2 ने कोई जानकारी नहीं छिपाई है और उन्होंने 05.11.2017 को भारत के विदेशी नागरिक के रूप में अपना आवेदन जमा किया है और तथ्य यह है कि जब उन्हें 02.01.2018 को शोम्या को दत्तक लेने का प्रस्ताव मिला, तो तुरंत। 04.01.2018 को, उन्होंने दोनों आवेदनों का विवरण देते हुए एक ई–मेल भेजा। उत्तरदाताओं ने दत्तक लेने के लिए अपने दावे को ईमानदारी से आगे बढ़ाया है, दस साल से अधिक के सुखी वैवाहिक जीवन के बाद भी उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने ठीक ही माना है कि वर्तमान मामले को एक असाधारण मामला माना जा सकता है और इसे एक मिसाल बनाए बिना, उत्तरदाताओं के पक्ष में अपनाए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

8. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

9. 2015 अधिनियम, अध्याय VIII दत्तक लेने से संबंधित है। धारा 56 उपधारा (1) में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों और प्राधिकरण द्वारा बनाए गए दत्तक लेने के नियमों के अनुसार, अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित किए गए बच्चों के लिए परिवार का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए दत्तक लेने का सहारा लिया जाएगा। धारा 57 भावी दत्तक माता–पिता की पात्रता से संबंधित है, जो इस प्रकार है:–

57. **भावी दत्तक माता–पिता की पात्रता–** (एल) भावी दत्तक माता–पिता शारीरिक रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से सतर्क और बच्चे को अच्छी परवरिश प्रदान करने के लिए उसे दत्तक लेने के लिए अत्यधिक प्रेरित होंगे।

(2) जोड़े के मामले में, दत्तक लेने के लिए दोनों पति–पत्नी की सहमति आवश्यक होगी।

(3) एक एकल या तलाकशुदा व्यक्ति भी मानदंडों को पूरा करने और प्राधिकरण द्वारा बनाए गए दत्तक लेने के नियमों के प्रावधानों के अनुसार दत्तक ले सकता है।

(4) कोई अकेला पुरुष किसी लड़की को दत्तक लेने का पात्र नहीं है।

(5) कोई अन्य मानदंड जो प्राधिकरण द्वारा बनाए गए दत्तक लेने के नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है

10. धारा 58 भारत में रहने वाले भारतीय भावी दत्तक माता–पिता द्वारा दत्तक लेने की प्रक्रिया से संबंधित है, जिसका प्रभाव निम्नलिखित है: –

58. भारत में रहने वाले भारतीय भावी दत्तक माता–पिता द्वारा दत्तक लेने की प्रक्रिया।–(एल) भारत में रहने वाले भारतीय भावी दत्तक माता–पिता, अपने धर्म की परवाह किए बिना, यदि अनाथ या परित्यक्त या आत्मसमर्पण किए गए बच्चे को दत्तक लेने में रुचि रखते हैं, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्था, प्राधिकरण द्वारा बनाए गए दत्तक ग्रहण नियमों में दिए गए तरीके से।

(2) विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्था भावी दत्तक माता–पिता की गृह अध्ययन प्रतिवेदन तैयार करेगी और उन्हें पात्र पाए जाने पर, दत्तक लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित बच्चे को बाल अध्ययन प्रतिवेदन और बच्चे की चिकित्सा प्रतिवेदन के साथ उनके पास भेजेगी। प्राधिकरण द्वारा बनाए गए दत्तक लेने के नियमों में दिए गए तरीके के अनुसार।

(3) भावी दत्तक माता–पिता से बच्चे की स्वीकृति की प्राप्ति पर, ऐसे माता–पिता द्वारा हस्ताक्षरित बच्चे की अध्ययन प्रतिवेदन और मेडिकल प्रतिवेदन के साथ, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्था बच्चे को दत्तक लेने से पहले की पालक देखभाल में देगी और फाइल करेगी प्राधिकरण द्वारा बनाए गए दत्तक लेने के नियमों में दिए गए तरीके से, दत्तक लेने का आदेश प्राप्त करने के लिए अदालत में एक आवेदन।

(4) अदालत के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्था इसे तुरंत भावी दत्तक माता–पिता को भेजेगी।

(5) दत्तक परिवार में बच्चे की प्रगति और भलाई की निगरानी की जाएगी और प्राधिकरण द्वारा बनाए गए दत्तक नियमों में दिए गए तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा।

11. अगला प्रावधान, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह धारा 59 है, जो एक अनाथ या परित्यक्त या आत्मसमर्पण किए गए बच्चे को अंतर–देशीय दत्तक लेने की प्रक्रिया प्रदान करता है, जो इस प्रकार है: –

59. किसी अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बच्चे को अंतर–देशीय दत्तक लेने की प्रक्रिया।––(एल) यदि किसी अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बच्चे को संयुक्त प्रयास के बावजूद किसी भारतीय या अनिवासी भारतीय भावी दत्तक माता–पिता के साथ नहीं रखा जा सका। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्था और राज्य संस्था, बच्चे को दत्तक लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने की तारीख से साठ दिनों के भीतर, ऐसा बच्चा अंतर–देशीय दत्तक लेने के लिए स्वतंत्र होगा:

बशर्ते कि शारीरिक और मानसिक विकलांगता वाले बच्चों, भाई–बहनों और पांच साल से अधिक उम्र के बच्चों को प्राधिकरण द्वारा बनाए गए दत्तक लेने के नियमों के अनुसार, ऐसे अंतर–देशीय दत्तक लेने के लिए अन्य बच्चों की तुलना में प्राथमिकता दी जा सकती है।

(2) एक पात्र अनिवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारतीय बच्चों को अंतर–देशीय दत्तक लेने में प्राथमिकता दी जाएगी।

(3) एक अनिवासी भारतीय या भारत का विदेशी नागरिक, या भारतीय मूल का व्यक्ति या एक विदेशी, जो विदेश में रहने वाले भावी दत्तक माता–पिता हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, यदि भारत से एक अनाथ या परित्यक्त या आत्मसमर्पण किए गए बच्चे को दत्तक लेने में रुचि रखते हैं, इसके लिए अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण संस्था, या केंद्रीय प्राधिकरण या अपने

अभ्यस्त निवास के देश में संबंधित सरकारी विभाग, जैसा भी मामला हो, को प्राधिकरण द्वारा बनाए गए दत्तक ग्रहण नियमों में दिए गए तरीके से आवेदन कर सकते हैं।

(4) अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण संस्था, या केंद्रीय प्राधिकरण, या संबंधित सरकारी विभाग, जैसा भी मामला हो, ऐसे भावी दत्तक माता–पिता की गृह अध्ययन प्रतिवेदन तैयार करेगा और उन्हें पात्र पाए जाने पर, दत्तक लेने के लिए प्राधिकरण को उनके आवेदन को प्रायोजित करेगा। भारत के एक बच्चे का, प्राधिकरण द्वारा बनाए गए दत्तक लेने के नियमों में दिए गए तरीके से।

(5) ऐसे संभावित दत्तक माता–पिता के आवेदन की प्राप्ति पर, प्राधिकरण जांच करेगा और यदि वह आवेदकों को उपयुक्त पाता है, तो वह आवेदन को विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों में से एक को संदर्भित करेगा, जहां कानूनी रूप से दत्तक लेने के लिए स्वतंत्र बच्चे उपलब्ध हैं।

(6) विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्था ऐसे भावी दत्तक माता–पिता के साथ एक बच्चे का मिलान करेगी और बच्चे की बाल अध्ययन प्रतिवेदन और मेडिकल प्रतिवेदन ऐसे माता–पिता को भेजेगी, जो बदले में बच्चे स्वीकार कर सकते हैं और विधिवत हस्ताक्षरित बाल अध्ययन और मेडिकल प्रतिवेदन वापस कर सकते हैं। उन्हें उक्त संस्था को।

(7) भावी दत्तक माता–पिता से बच्चे की स्वीकृति प्राप्त होने पर, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्था प्राधिकरण द्वारा बनाए गए दत्तक ग्रहण नियमों में दिए गए तरीके से, दत्तक आदेश प्राप्त करने के लिए अदालत में एक आवेदन दायर करेगी।

(8) अदालत के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर, विशेष दत्तक ग्रहण संस्था उसे तुरंत प्राधिकरण, राज्य संस्था और भावी दत्तक माता–पिता को भेजेगी, और बच्चे के लिए पासपोर्ट प्राप्त करेगी।

(9) प्राधिकरण भारत के आव्रजन अधिकारियों और बच्चे को प्राप्त करने वाले देश को दत्तक लेने के बारे में सूचित करेगा।

(10) भावी दत्तक माता–पिता को बच्चे को पासपोर्ट और वीजा जारी होते ही विशेष दत्तक ग्रहण संस्था से व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करना होगा।

(11) अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण संस्था, या केंद्रीय प्राधिकरण, या संबंधित सरकारी विभाग, जैसा भी मामला हो, दत्तक परिवार में बच्चे के बारे में प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा और मामले में वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होगा। प्राधिकरण और संबंधित भारतीय राजनयिक मिशन के परामर्श से, प्राधिकरण द्वारा बनाए गए दत्तक लेने के नियमों में दिए गए तरीके से, किसी भी व्यवधान का।

(12) एक विदेशी या भारतीय मूल का व्यक्ति या भारत का एक विदेशी नागरिक, जो भारत में आदतन निवास करता है, यदि भारत से एक बच्चा दत्तक लेने का इच्छुक है, तो वह राजनयिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है। प्राधिकरण द्वारा बनाए गए दत्तक लेने के नियमों में दिए गए अनुसार आगे की आवश्यक कार्रवाइयों के लिए भारत में अपने देश का मिशन

12. प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने भारत में रहने वाले भावी दत्तक माता–पिता के रूप में अपना आवेदन प्रस्तुत किया। हालाँकि, आवेदन जमा करने की तिथि पर, प्रतिवादी नंबर 2 पहले से ही एक अमेरिकी नागरिक था, प्रतिवादी नंबर 1

भारतीय नागरिक था, आवेदन विनियमों के प्रावधानों और प्रासंगिक समय पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार पूरी तरह से रखरखाव योग्य था। भारतीय भावी दत्तक माता–पिता के रूप में। यहां तक कि विनियम, 2017 के विनियम 21(1) में यह प्रावधान है कि यदि भावी दत्तक माता–पिता में से एक विदेशी है और दूसरा भारतीय है, तो ऐसे मामले को भारत में रहने वाले भारतीयों के बराबर माना जाएगा। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा 06.12.2016 को अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने और 27.04.2017 को प्रतिवादी नंबर 1 को ओसीआई कार्ड जारी किए जाने के बाद, अंतर–देशीय दत्तक लेने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा 05.11.2017 को दूसरा आवेदन प्रस्तुत किया गया था, दोनों अमेरिकी नागरिक बन गए थे . इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दोनों 06.12.2016 तक अमेरिकी नागरिक बन गए थे, वे भारत में रहने वाले भारतीय भावी दत्तक माता–पिता के रूप में दत्तक लेने के पात्र नहीं थे। केवल यह तथ्य कि अधिनियम या विनियम पहले पंजीकरण में कोई और जानकारी अपलोड करने के लिए कोई तंत्र प्रदान नहीं करता है, किसी भारतीय द्वारा विदेशी नागरिकता प्राप्त करने की विधिक स्थिति और परिणामों को नहीं बदल सकता है। प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के परिणाम तुरंत प्रभावी होंगे।

13. उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता की तर्क, कि विनियम 41 सामान्य वरिष्ठता सूची से संबंधित है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। विनियम, 2017 का विनियम 41 इस प्रकार है:–

4 **1. भावी दत्तक माता–पिता की वरिष्ठता.–** (1) भावी दत्तक माता–पिता को एकल वरिष्ठता सूची के आधार पर बच्चों को संदर्भित किया जाएगा, जिसे पंजीकरण की तारीख और इन नियमों के तहत निर्धारित अन्य मानदंडों से बनाए रखा जाएगा।

(2) निवासी भारतीयों की वरिष्ठता बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली में गृह अध्ययन प्रतिवेदन को छोड़कर, ऑनलाइन पंजीकरण और दस्तावेज जमा करने की तारीख पर आधारित होगी।

(3) अनिवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक या विदेशी भावी दत्तक माता–पिता की वरिष्ठता ऑनलाइन पंजीकरण की तारीख और बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली में गृह अध्ययन प्रतिवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने पर आधारित होगी।

(4) भावी दत्तक माता–पिता को पंजीकरण की तारीख से साठ दिनों के भीतर एक बार राज्य वरीयता बदलने की अनुमति दी जाएगी और यदि वे पंजीकरण की तारीख से साठ दिनों के बाद राज्य वरीयता बदलते हैं, तो उन्हें वरिष्ठता में सबसे नीचे रखा जाएगा। परिवर्तित राज्य में सूची.

(5) एकल के रूप में पंजीकृत, लेकिन बाद में विवाहित भावी दत्तक माता–पिता की वरिष्ठता ताजा गृह अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद एकल के रूप में पंजीकरण की तारीख से गिनी जाएगी।

(6) सामान्य बच्चे के लिए पंजीकृत भावी दत्तक माता–पिता, उसी पंजीकरण के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या मुश्किल से रखे जाने वाले बच्चे को दत्तक ले सकेंगे।

14. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विनियम, 2017 से पहले, दो अलग–अलग वरिष्ठता सूचियाँ थीं, जिन्हें दिशानिर्देश, 2015 के तहत बनाए रखा गया था, जिसे अब एकल वरिष्ठता सूची बना दिया गया है। भले ही एक एकल

वरिष्ठता सूची हो, जिस पर अब विनियम 41 द्वारा विचार किया गया है, निवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिकों के संबंध में वरिष्ठता सूची में नियुक्ति विनियम 41(2) में दिए गए विभिन्न मापदंडों पर आधारित है और 41(3). भले ही आम वरिष्ठता सूची का उपयोग संबंधित श्रेणियों के अनुसार देश में दत्तक लेने और अंतर–देशीय दत्तक लेने के उद्देश्य से किया जाना हो, देश में दत्तक लेने और अंतर–देश में दत्तक लेने के बीच के अंतर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है या इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह मात्र एक तथ्य है कि एक सामान्य वरिष्ठता सूची अनुरक्ष्ति की जाती है। यह सच है कि विनियमन 41 या कोई अन्य विनियमन ऐसी स्थिति पर विचार नहीं करता है जब एक निवासी भारतीय विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के बाद एक नया पंजीकरण जमा करता है, तो उसके पहले पंजीकरण का परिणाम और मूल्य क्या होगा। भले ही नियम मौन हैं और ऐसी तथ्यात्मक स्थिति के लिए कोई तंत्र या कोई उत्तर प्रदान नहीं करते हैं, विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के स्वाभाविक परिणाम होंगे। इस प्रकार, हम विद्वान एएसजी की दलील में बल पाते हैं कि प्रतिवादी नंबर 1 और 2 का निवासी भारतीय के रूप में दत्तक लेने का अधिकार 06.12.2016 को अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के बाद समाप्त हो गया है। प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को बच्चे की प्रस्ताव उनके पहले आवेदन दिनांक 19.07.2016 पर आधारित थी, जिसमें यदि विदेशी नागरिकता के खंड को नजरअंदाज किया जाता है, तो यह अधिनियम और नियमों के अनुसार था। इसके अलावा, क्या प्रतिवादी नंबर 1 के 06.12.2016 को अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के तथ्य को दत्तक लेने के प्रयोजनों के लिए नजरअंदाज किया जाना चाहिए या नहीं, यह प्रश्न है, जिसे इन अपीलों में संबोधित और उत्तर दिया जाना आवश्यक है।

15. धारा 58 और 59 दत्तक लेने के लिए दो अलग–अलग तंत्र प्रदान करते हैं। धारा 59(1) के अनुसार, यदि किसी अनाथ या परित्यक्त या आत्मसमर्पण किए गए बच्चे को विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्था और राज्य संस्था के संयुक्त प्रयास के बावजूद तिथि से साठ दिनों के भीतर किसी भारतीय या अनिवासी भारतीय भावी दत्तक माता–पिता के साथ नहीं रखा जा सका। बच्चे को दत्तक लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया है, ऐसा बच्चा अंतर–देशीय दत्तक लिये जाने के लिए स्वतंत्र होगा। इस प्रकार, उस तारीख से साठ दिन की अवधि समाप्त होनी चाहिए जब बच्चे को दत्तक लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया हो। वर्तमान मामले में, बाल कल्याण समिति, पटना, बिहार द्वारा 14.12.2017 को बच्चे को दत्तक लेने के लिए स्वतंत्र घोषित किया गया था। साठ दिन की समाप्ति से पहले, बच्चे को माता–पिता को दत्तक लेने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था, जो धारा 59 के तहत दत्तक लेने के लिए पात्र हैं। हालांकि, हम इस तथ्य से अनजान नहीं हैं कि प्रतिवादी नंबर 1 और 2 अपने आवेदनों का पालन करने के लिए तत्पर थे। दत्तक लेना, प्रारंभ में निवासी भारतीयों के रूप में और उसके बाद भारत के विदेशी नागरिकों के रूप में भी। धारा 57 के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 दोनों बच्चे को दत्तक लेने के लिए पूरी तरह से पात्र और सक्षम हैं। जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह ऐसी परिस्थितियों में था कि बच्चे शोम्या को प्रतिवादी नंबर 1 और 2 को प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति बताई और बच्चे के साथ संवाद किया और बच्चे को दत्तक लेने और सभी देखभाल करने और अच्छी शिक्षा प्रदान करने के इच्छुक हैं। हमें बच्चे को दत्तक लेने के प्रयास में प्रतिवादी नंबर 1 और 2 की प्रामाणिकता या क्षमता पर कोई संदेह

नहीं है, लेकिन वैधानिक प्रक्रिया और वैधानिक व्यवस्था, जो आज तक प्रचलित है और सभी उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू होती है, यानी, भारतीय भावी दत्तक माता–पिता और अंतर–देशीय दत्तक ग्रहण के लिए भावी दत्तक माता–पिता की अनदेखी नहीं की जा सकती। हालाँकि, धारा 59(2) के आधार पर, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को अंतर–देशीय दत्तक लेने में प्राथमिकता दी जा सकती है, वे भारत के पात्र विदेशी नागरिक हैं और जैसा कि उपरोक्त परिस्थिति और तथ्यों के परिणाम स्वरूप स्पष्ट है।

16. उपरोक्त विमर्शों के मद्देनजर, हमारा विचार है कि 2019 की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) (सी) संख्या 1476–1477 से उत्पन्न सिविल अपीलों को निम्नलिखित तरीके से निपटाने में न्याय की पूर्ति की जाएगी:

(i) दिनांक 15.03.2018 को ई–मेल द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को सूचित दिनांक 27.02.2018 का निर्णय बरकरार रखा गया है।

(ii) जहां तक प्रथम पंजीकरण दिनांक 19.07.2016 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के आवेदन पर विचार करने और जांच करने का निर्देश दिया गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ–साथ खण्ड न्यायपीठ के फैसले को रद्द कर दिया गया है।

(iii) सक्षम प्राधिकारी बच्चे शोम्या को दत्तक लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र होने की फिर से अधिसूचना जारी करेगा, जिसकी अधिसूचना आज से एक सप्ताह के भीतर जारी की जाएगी।

(iv) यदि बच्चे (शोम्या) को दत्तक लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने की तारीख से साठ दिनों के भीतर भारतीय भावी दत्तक माता–पिता द्वारा दत्तक नहीं लिया जाता है या दत्तक नहीं लिया जाता है, तो बच्चे शोम्या को प्रतिवादी संख्या में दत्तक दे दिया जाएगा। अंतर–देशीय दत्तक लेने में 1 और 2। इसके बाद सभी परिणामी कदम पूरे किए जाएंगे।

17. अब, एसएलपी (सी) संख्या 1478–1479 से उत्पन्न सिविल अपीलों की बात करें तो, ये अपीलें 2018 के सी.सी.सी. संख्या 1690–1691 में पारित आदेश दिनांक 04.09.2018 के खिलाफ दायर की गई हैं, अवमानना कार्यवाही समाप्त कर दी गई है। खण्ड न्यायपीठ द्वारा दिनांक 04.09.2018 को दिए गए फैसले के अनुसार, इस संबंध में और कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, हम मानते हैं कि वर्तमान मामले की वास्तविक स्थिति में अवमानना आवेदन दाखिल करना गलत सलाह दी गई थी। दोनों अवमानना आवेदन खारिज किये जाने योग्य हैं। अपीलें स्वीकार की जाती हैं और अवमानना आवेदन खारिज किये जाते हैं। पार्टियाँ अपनी लागत स्वयं वहन करेंगी।

अंकित ज्ञान

मामला निष्पादित।

अनुवादक

राकेश कुमार मिश्रा।